

आईआईटी में वन विभाग का अड़ंगा

महू। सिमरोल क्षेत्र में बनने वाले आईआईटी के भवन पर वन विभाग की ओर से भी अड़ंगा आ सकता है। इसका कारण वन विभाग से ली गई भूमि के बदले विभाग को दूसरी भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाना है।

महू तहसील में जमीन का चयन किया गया। राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में सिमरोल क्षेत्र में 750 बीघा जमीन (वेटरनरी, राजस्व व वन विभाग की जमीन) आईआईटी के लिए अधिगृहीत

■ अब तक नहीं मिली भूमि के बदले भूमि

कर प्रदान की थी। तब निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुनसिंह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने किया था, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

आधी जमीन चिह्नित : वन विभाग द्वारा आईआईटी के लिए 80 हैक्टेयर भूमि वन अधिनियम के तहत दी

गई है। इसके मुताबिक शासन द्वारा वन विभाग को अन्य जगह इतनी ही भूमि उपलब्ध करानी थी। राजस्व विभाग ने खुदालपुरा, हासलपुर में 40 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की है, परंतु वह वन विभाग द्वारा दी गई भूमि के एवज में आधी ही है। वन विभाग के एसडीओ ओपी शर्मा का कहना है कि विभाग ने आईआईटी के लिए प्रदान भूमि की एनओसी अब तक जारी नहीं की है। राजस्व विभाग द्वारा बताई गई भूमि नाकाफी है।-निप्र